

राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग,
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक डीसी/डी-1/11/

दिनांक 18.03.2011

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी

विषय— गुलाल को कॉस्मेटिक मानकर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री
अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के तहत नमूने लेने के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि "गुलाल" को औषधि एवं प्रसाधन सामग्री
अधिनियम, 1940 के तहत "कॉस्मेटिक" माना जा सकता है अथवा नहीं, इस सम्बन्ध में
विधि विभाग को प्रकरण राय के लिए भेजा गया था, जिनकी राय के अनुसार "गुलाल
को कॉस्मेटिक की परिभाषा में सम्मिलित नहीं किया जा सकता" इसलिए इसके नमूने
उक्त अधिनियम के तहत लिया जाना विधि सम्मत नहीं है।
सूचनार्थ प्रेषित है।


औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर

क्रमांक डीसी/डी-1/11/186

दिनांक 18.03.2011

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निजी सचिव, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, माननीय खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री महोदय, राजस्थान सरकार,
जयपुर
3. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राज0,जयपुर
4. निजी सचिव, माननीय प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग, राजस्थान,
जयपुर
5. समस्त जिला कलक्टर महोदय को उनके ई-मेल पर।
6. प्रभारी, सर्वर रूम कृपया वेबसाइट पर www.rajswasthya.nic.in/drug_control
पर प्रदर्शित करें।
7. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन.....
8. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान


औषधि नियंत्रक
राज0,जयपुर